

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.10.2024	<p style="text-align: center;">प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 29/2024 मुकेश बनाम प्रभात्या व अन्य</p> <p>पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी को बार-बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी एवं अधिवक्ता प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी श्री यशवन्त मीना उप जिला कलक्टर सिकराय के विरुद्ध पेश किया गया है। श्री यशवन्त मीना उप जिला कलक्टर सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री यशवन्त मीना पीठासीन अधिकारी न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। श्री यशवन्त मीना उप जिला कलक्टर सिकराय का स्थानान्तरण हो चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री यशवन्त मीना का स्थानान्तरण होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय में विचाराधीन प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 163/21 उनवानी पिस्ता बनाम प्रभात्या वाद पत्र एवं प्रकरण संख्या 80/21 अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी पिस्ता बनाम प्रभात्या को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थी मुकेश पुत्र कल्याराम जाति कोली निवासी चांदुसा तहसील सिकराय जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी मुकेश बनाम प्रभात्या व अन्य खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

( सुमित्रा पारीक )  
अति. जिला कलक्टर, दौसा

